(49)

निगरानी प्रकरण क्रमांक......./2013

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश के समक्ष

R-1452-PBR/13

जे.के.एम इन्वेस्टमेन्ट प्रा:लि तर्फे अधिकृत अभिषेक पिता जुगलकिशोर मोदी

वर्तमान पता ग्राम कुमडी एम.आर . 10 टोट टक्स के पास

तहसील सांवेर जिला इन्दौर म.प्र. प्रार्थी

विरूध

पवन ढेलावत पिता सूरजमल ढेलावत

पता 177 स्कीम नम्बर 114 पार्ट 2

तहसील एवं ज़िला इंदौर प्रतिप्रार्थी

श्री एच.एन.फड़के अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 12-4-13 को इन्दौर केम्प पर प्रस्तुत।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु– राजस्व संहिता 1959

दिनांक 20/09/2012 को अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इन्दौर (श्री बी.बी.एस तोमर) द्वारा प्रकरण क्रमांक 132/बी–121/2011–12 में पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश से व्यथीत होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रतिप्रार्थी के विरूध यह पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारों पर तथ्यों का वर्णन करते हुए निम्नानुसार पेश है ।

12-4-13

15/4/13

// प्रकरण के तथ्य //

(1) यह कि ,प्रतिप्रार्थी पवन घेलावत पिता सूरजमल द्वारा दिनांक 20/09/2012 को एक आवेदन पत्र धारा 32 म.प्र.भु राजस्व संहिता 1959 . के तहत माननीय अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इन्दौर के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता के विरूध प्रस्तुत किया गया था । जिस पर माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को सूचना पत्र जारी किये जाने का आदेश दिया गया एवं प्रकरण के निराकरण तक यथास्थिति बनाए जाने का आदेश भी माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया ।

(2) यह कि, प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खिलाफ जो शिकायत की गई थी उसमें उसके द्वारा एक भी सारभुत दस्तावेज पेश नही किया गया है ।

(3) यह कि, प्रार्थी की भूमि सर्वे क्रमांक 59/1 एवं 57, 58, 45/1, 37, 55/1, 55/2/1, 46/1, 49/1, 48/2, 45/3/1, 44/1, 45/3/2, 45/4, 44/3 ग्राम कुमेडी पर एक ग्रुप हाउसिंग का निर्माण विधिवत सरकारी विभागों से अनुमतियां प्राप्त करके विधिवत रूप से किया जा रहा है । प्रार्थी के पास आवासीय अनुज्ञा, विकास अनुमति, डायवर्शन अनुमति, कॉलोनी लायसेन्स, मध्य प्रदेश प्रदुषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1452/पीबीआर/13 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, इंदौर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	